अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग आदेश संख्या...580.../2023

बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापांक–9615, दिनांक–12.11.2018 से निर्गत संकल्प एवं वित्त विभाग का ज्ञापांक–3590, दिनांक–24.05.2017 से निर्गत संकल्प के आलोक में अपराध अनुसंधान विभाग आदेश सं0–235/21 सहपठित ज्ञापांक–615, दिनांक–05.03.2021 के अनुसार 1. हवलदार धनजंय कुमार सिंह 2. हवलदार ललन यादव 3. सि0/68 हरेन्द्र राम 4. हवलदार संतोष कुमार मिश्रा 5. हवलदार मो0 जलालुद्दीन 6. चालक हवलदार भरत प्रसाद सिंह एवं 7. हलदार किशोरी चौधरी का वेतन निर्धारण करते हुए भुगतान किये गये अधिक राशि की माहवार कटौती की जा रही थी।

उपरोक्त कटोती के विरोध में हवलदार धनंजय कुमार सिंह एवं अन्य 06(छः) कर्मियों द्वारा भुगतान किये गये अधिक राशि की कटौती के विरूद्ध उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 155/2023 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किया गया है, :–

"Learned counsel for the petitioners submits that the case of the petitioners are similarly situated to the petitioner in CWJC No. 10220 of 2021 and the petitioners in CWJC No. 4864 of 2021. The petitioners are looking for similar reliefs.

Learned counsel for the petitioners submits that the State has accepted the order of this Court as contained in Annexure '5' in case of some of the similarly situated persons, therefore, there is no reason as to why the State would not take similar view in respect of the petitioners as well. This Court has been informed that the orders as contained in Annexure-5 have not been appealed against.

In the aforesaid view of the matter, this writ application is being disposed of with a direction to the Additional Chief Secretary, Department of Home (Police). Government of Bihar (respondent no. 2) to examine the case of the petitioners keeping in view the orders passed by this Court in CWJC No. 10220 of 2021 and CWJC No. 4864 of 2021. In case it is found that these petitioners are similarly situated to the petitioners of the said two cases, it goes without saying that the petitioners would also be entitled for similar reliefs and there would be no recovery from them. The respondents would, however, be at liberty to take steps for re-fixation of pay/ACP after giving an appropriate opportunity of hearing to the petitioners.

सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 10220/2021 हसीब अहमद खाँ बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना का आदेश निम्नवत है, जिसे इस मामले के निष्पादन में भी वर्णित किया गया हैः–

" In the light of these facts and circumstances, order dated 12.11.2018 (Anneuxure-2) stands set aside. Accordingly, the present petition stands allowed reserving liberty to the respondents to initiate a fresh proceedings in accordance with law after giving ample opportunity of hearing to the petitioner. The above exercise shall be completed within a period of three months from the date of

receipt of this order. **If any recovery is effected, the same shall be refunded to the petitioner forthwith."**

1. उपरोक्त न्यायादेश के आलोक में सि0/68 हरेन्द्र राम का वेतन से अपराध अनुसंधान विभाग, आदेश सं0–235/21, दिनांक–05.03.2021 के आलोक में की गई कटौती राशि को तत्काल उनके वेतन खाते में वापस करने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार लेखा प्रभारी, अप0अनु0विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

2. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सिर्फ इसी मामले के लिए लागू है। यह पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।

3. यह आदेश इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर की गयी एल0पी0ए0 नं0–16279/2022, दिनांक–26.08.2022 के फलाफल से प्रभावित होगा।

इस पर अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

22/8/23

पुलिस अधीक्षक (सी0)
अपराध अनुसंधान विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक–र0का0/02/2023/......1775......

बिहार पुलिस मुख्यालय

(अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमज़ोर वर्ग प्रभाग)

पटना, दिनांक–22.08.2023

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी, लेखा शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
2. र0पु0नि0 (द्वितीय) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
3. प्रभारी संकेत/से0पु0/आर0एम0एस0, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
4. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
5. संबंधित सि0/68 हरेन्द्र राम को सूचनार्थ।

22/8/23

पुलिस अधीक्षक(सी0)
अपराध अनुसंधान विभाग
बिहार, पटना